uxj ipk;r tCcy] ftyk f'keyk] fgekpy in'k d vof/k 04@2007 l 03@2012 d y[kkvk dk vd{k.k o fujh{k.k ifronu

Hkkx&,d

1 ikjfEHkd %&

¼d½ ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिषों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संषोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेष सरकार की अधिसूचना संख्याः 1–376/81–फिन(एल0ए0)खण्ड–iv, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेषक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, नगर पंचायत जुब्बल के अवधि 4/07 से 3/12 के लेखाओं का अंकेक्षण किया गया।

vof/k 04@2007 l 03@2012 d nkjku uxj ipk;r tCcy d i/kku rFkk dk;dkjh vf/kdkjh fuEukuqlkj Fk%&

¼1½ i/kku

Øekd	fooj.k	vof/k
1	श्री ब्रिजेंदर सिंह घेजटा	20.01.2006 से 31.01.2008 तक
2	श्री जोगिंदर सिंह चौहान	27.02.2008 से 20.01.2011
3	श्री गोविन्द सोरटा	21.01.2011 से निरन्तर

¼2½ lfpo

Øekd	uke	vof/k
1	श्री ओपी ठाकुर, तहसीलदार	1.4.07 से 30.10.07
2	श्री सिद्धार्थ आचार्य, तहसीलदार	01.11.07 से 31.08.08
3	श्री जयलाल चौहान, नायब तहसीलदार	01.09.08 से 30.11.08
4	श्री सिद्धार्थ आचार्य, तहसीलदार	1.12.08 से 28.2.10
5	श्री जयलाल चौहान, नायब तहसीलदार	1.3.10 से 31.8.10
6	श्री ए0एन0 ठाकुर, तहसीलदार	1.09.10 से 31.7.11
7	श्री ए0एन0 ठाकुर, तहसीलदार	01.8.11 से 31.01.12
8	श्री जयलाल चौहान, नायब तहसीलदार	01.02.12 से लगातार

¼[k½ uxj iapk;r tqCcy] ftyk f'keyk] fgekpy izns'k ds vof/k 04@2007 ls 03@2012 ds ys[kkvksa ds vads{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu esa ikbZ xbZ xEHkhj vfu;ferrkvksa dk lkj%&

Øekad	xEHkhj vfu;ferrkvksa dk lEcfU/kr lkj	iSjk la[;k	jkf'k ₹ yk[k esa
1	दिनांक 31.3.2012 तक अनुदानो के षेष का उपयोग न करना	7 (क)	79.58
2	गृहकर के रूप में वसूली हेतु षेष	8 (क)	5.95
3	गृह कर की कम दर से वसूली करने के कारण हुई हानि	8 ख)	5.26
4	मोबाईल टावर षुल्क के रूप में वसूली हेतु षेष	8 (ग)	0.30
5	दुकानों के किराये के रूप में वसूली हेतु षेष	8 (ङ)	12.44
6	दुकानो के अनियमित आबटन करने से हानि	8 (च)	1.09
7	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त राषि के अभिलेख अंकेक्षण में उपलब्ध न करना	8 (ट)	3.00
8	मानदेय का अनुचित भुगतान	9 (क)	0.69
9	हवाई जहाज से यात्रा करने पर यात्रा भत्ते का अनियमित भुगतान	9 (ग)	0.11
10	दीपक इलैक्ट्रिकल स्टोर जुब्बल से बिजली की खरीद में पाई गई अनियमितताएं बारे	10 (छ)	1.99
11	सीमेन्ट की खरीद हि0प्र0 नागरिक खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से न करने के कारण हुई हानि	10 (ज)	0.11
12	दीपक आकैटा जुब्बल से ईटों की खरीद बिना निविदाएं आमन्त्रित किए ही करना	10 (झ)	0.28
13	Iron Railing, Steel Gutter तथा Cast iron steel bench के कार्य पर अनियमित भुगतान	10 (ञ)	0.83
14	हि0प्र0 नगर पालिाक अधिनियम 1994 की धारा 53 (1) के प्रावधानों के विपरीत संस्थापना पर अनाधिकृत रूप से व्यय किया जाना	11 (ख)	17.94
15	वेतन पर बिना स्वीकृति के अधिक व्यय	11 (ग)	2.77

¼x½ xr vads{k.k izfrosnu ½&

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट ''A'' पर दर्षाई गई है। यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर पंचायत द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है जोकि अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः परामर्ष दिया जाता है कि नगर पंचायत द्वारा इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विषेष अभियान/कार्रवाई करनी सुनिष्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

Hkkx&nks

2 orZeku vads{k.k½&

नगर पंचायत जुब्बल के अवधि 4/07 से 3/12 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिये गये है, श्री अनिल षर्मा तथा रविन्दर सिंह अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 16.7.2012 से 25.8.2012 के दौरान जुब्बल में किया गया। आय की विस्तृत जाँच हेतु मास 05/2007, 10/2008, 12/2009, 05/2010, 12/2011 एवं व्यय की विस्तृत जॉच के लिए मास 11/2007, 06/2008, 02/2010, 12/2010 और 08/2011 का चयन किया गया।

"वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन, नगर पंचायत जुब्बल द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उक्त नगर पंचायत द्वारा दी गई गलत सूचनाओं अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने पर पाई गई अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।"

3 vads{k.k 'kqYd ½&

नगर पंचायत जुब्बल के अवधि 04/2007 से 03/2012 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹33600/–आंका गया। सचिव नगर पंचायत जुब्बल को उपरोक्त अंकेक्षण शुल्क की राषि रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल

प्रदेष षिमला–171009 के नाम प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 101/2012, दिनांक 25.8.2012 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 foÙkh; fLFkfr

¼d½ नगर पंचायत जुब्बल के अवधि 04/2007 से 03/2012 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट "क" के पृष्ठ 1 पर दिया गया है।

¼[k½ बैंक समाधान विवरणी का उल्लेख परिषिष्ट "क" के पृष्ठ 2 व 3 पर दिया गया है। बैंक समाधान विवरणी की जांच करने पर पाया गया कि रोकड़ वही के षेष तथा बैंक षेष में ₹8375/–का अन्तर पाया गया जोकि पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है जिसकी संस्था स्त्तर पर विस्तृत जांच करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

¼x½ वित्तीय स्थिति के अवलोकन पर पाया गया कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में "अपने साधनों से प्राप्त आय" से सम्बन्धित वित्तीय स्थिति में दिनांक 31.3.12 अन्तषेष ₹600136.35/–दर्षाया गया था परन्तु वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नगर पंचायत द्वारा अपने साधनो ंसे सम्बन्धित आय" में प्रारम्भिक षेष ₹575136.35 लिया गया। इस प्रकार अपने साधनों के सम्बन्धित आय में ₹25000/–कम ली गई। इसके विपरीत अनुदानो ंसे सम्बन्धित आय की वित्तीय स्थिति में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में दिनांक 31.3.12 का अन्तषेष ₹930377/–दर्षाया गया था परन्तु वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नगर पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित वित्तीय स्थिति में दिनांक 1.7.07 का प्रारमिभक षेष ₹955377/–दर्षाया गया है। इस प्रकार अनुदानों से सम्बन्धित आय की वितीिय स्थिति से प्रारम्भिक षेष ₹25000/–ज्यादा दर्षाया गया है। अतः उक्त अन्तर के कारण स्पष्ट किए जाएं।

5 Hkxrku okÅpjks ds fcuk gh ₹5711 dk cSd ls vf/kd vkgj.k djuk%&

अंकेक्षण में विभिन्न व्यय वाऊचरों की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार भुगतान वाऊचरों के बिना ही बैंक से ₹5711/–अधिक आहरित की गई क्योंकि उक्त ₹5711/–के व्यय वाऊचर अभिलेख में उपलब्ध नहीं थे। अतः इस सम्बन्ध में नियमानुसार छानबीन की जाए तथा ₹5711/–के व्यय वाऊचर तलाष करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाएं अथवा अपेक्षित उक्त राषि की वसूली करके नगर पंचायत निधि में जमा करवाई जाए तथा कृत कार्रवाई से इस विभाग को सूचित किया जाएः–

Date	Cash Book Page No.	Payment Drawn for Vouchers	Amount drawn from Bank	Available voucher for which payment shown in cash book	Amount for which voucher not available in record
02-01-2009	89	Vr. No. 1 to 8	74098	73918	180
01-09-2009	15	Vr. No. 1 to 7	78513	75213	3300
01-12-2009	23	Vr. No. 1 to 15	95607	94376	1231
04-08-2010	46	Vr. No. 1 to 11	120145	119145	1000
		Total	**368363**	**362652**	**5711**

6 nkgjh y[kk i)fr dk ykxw u djuk&

निदेशक षहरी विकास, हिमाचल प्रदेष के पत्र संख्या UD-H(C)15-49/2003-III-3332-3379 दिनांक 25 मार्च 2009, पत्र संख्या UD-H(C)-15-49/2003-III-9337-9385 मास 8/2009 और पत्र संख्या UD-H©-15-49/2003-IV-5215-63 दिनांक 19 जुलाई 2010 द्वारा सभी नगर पंचायतों को निर्देष दिये गए थे कि 01.04.2009 से सभी नगर पंचायतें अपने लेखों को दोहरी लेखा पद्धति (Double Entry System on Accural Basis) से बनायेगी परन्तु अंकेक्षण में जॉच करने पर पाया गया कि नगर पंचायत जुब्बल द्वारा इन निर्देषों की अवहेलना करके अपने लेखों को एकल लेखा पद्धति के आधार पर बनाया गया था। अतः निदेषक षहरी विकास हिमाचल प्रदेष के निर्देषों की अवहेलना करके लेखों को दोहरी लेखा पद्धति (Double Entry System on Accural Basis) के स्थान पर एकल लेखा पद्धति से बनाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए एवं सरकार के निर्देषानुसार लेखों को दोहरी पद्धति (Double Entry System on Accural Basis) के आधार पर बनाया जाना सुनिष्चित किया जाए कृत कार्रवाई से इस विभाग को सूचित किया जाए।

7 vuqnku&

सचिव, नगर पंचायत जुब्बल द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अनुदानों से प्राप्तियों व व्यय का विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट "ख" (पृष्ठ 1 स 11)

पर संलग्न किया गया है। अनुदानो से प्राप्तियों व व्यय की विवरणी की जॉच करने के उपरान्त इसमें निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई।

¼d½ fnukd 31-3-2012 rd vunkuk dh 'k"k ₹7958520-43 dk mi;kx u djuk&

नगर पंचायत जुब्बल की अनुदानों की वित्तीय स्थिति के अवलोकन पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा निम्नविवरणानुसार अनुदानों कीं ₹7958520.43 दिनांक 31.3.2012 को उपयोग करने हेतु षेष थी।

(i) 04/2007 से पूर्व प्राप्त अनुदानों मे से दिनांक 31.3.2012 तक ₹570377.00 व्यय करना हेतु षेष थी।

(ii) वर्ष 2008–09 के दौरान प्राप्त अनुदानों में से दिनांक 31.3.2012 तक ₹821571 व्यय करने हेतु षेष थी।

(iii) वर्ष 2009–10 के दौरान प्राप्त अनुदानों में से दिनांक 31.3.2012 तक ₹400000 व्यय करने हेतु षेष थी।

(iv) वर्ष 2010–11 के दौरान प्राप्त अनुदानों में से दिनांक 31.3.2012 तक ₹3745620 व्यय करने हेतु षेष थी।

(v) वर्ष 2011–12 के दौरान प्राप्त अनुदानों में से दिनांक 31.3.2012 तक ₹2420952.42 व्यय करने हेतु षेष थी।

अतः उपरोक्त विवरणानुसार दिनांक 31.3.12 तक अनुदानों की ₹7958520.43 के उपयोग न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इन अनुदान राषियो को स्वीकृति पत्र की षर्तों के अनुसार या तो उपयोग किया जाए अन्यथा जिस स्त्रोत से प्राप्त हुई थी, उन्हें वापिस लौटाया जाए तथा कृत कार्रवाई से इस विभाग को सूचित किया जाए।

¼[k½ vunkuk l lEcfU/kr mi;kfxrk iek.k i= vd{k.k e miyC/k ugh djokuk&

परिशिष्ट "ख" में वर्णित किए गए विभिन्न स्त्रोत से प्राप्त अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में आवष्यक जॉच हेतु उपलब्ध नहीं करवाए गए जिन्हें आगामी अंकेक्षण में जॉच हेतु उपलब्ध करवाया जाना सुनिष्चित किया जाए।

¼x½ Lo.k t;Urh 'kgjh jktxkj ;ktuk&

नगर पंचायत द्वारा स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना (SJSRY) हेतु अलग से रोकड़ वही नहीं लगाई गई थी और न ही अलग से बैंक खाता रखा गया था अपितु स्वर्ण जयन्ती षहरी रोजगार योजना (SJSRY) के आय एवं व्यय का लेखा नगर पंचायत की जनरल रोकड़ वही में ही किया गया था। अतः स्वर्ण जयन्ती षहरी योजना (SJSRY) की अलग से रोकड़ वही न लगाने के कारण स्पष्ट किए जाए।

¼?k½ lgk;d vuqnku jftLVj dk fu/kkZfjr iz:i ij r;kj u djuk%&

म्यूनिसिपल अकाउंट कोड 1975 के नियम 26 के अनुसार अनुदानों से सम्बन्धित विवरण को सहायता अनुदान रजिस्टर फार्म जी–6 पर तैयार किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण में अनुदानों से सम्बन्धित रजिस्टर की पड़ताल करने पर पाया गया कि यह विवरण उपरोक्त वर्णित नियम के अनुसार निर्धारित फार्म पर नहीं बनाया गया था। अतः उपरोक्त विवरण सहायता अनुदान रजिस्टर फार्म जी–6 पर तैयार न किये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में अनुदानो से सम्बन्धित विवरण सहायता अनुदान रजिस्टर फार्म जी–6 पर तैयार किया जाना सुनिष्चित किया जाऐं।

8 vk;%&

नगर पंचायत जुब्बल की आय पक्ष की जॉच करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं/त्रुटियां पाई गईः–

¼d½ xgdj d: i e ₹595957@&olyh gsrq 'ks"k%&

अंकेक्षण के दौरान गृह कर की जॉच करने पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा विभिन्न गृहकर दाताओं से दिनांक 31.3.12 को ₹595957/– वसूली हेतु षेष थी जिसका वर्ष वार विवरण निम्न प्रकार से दिया गया है। अतः नगर पंचायत को सुझाव दिया जाता है कि वह नगर परिषद अधिनियम 1994 के विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत गृह कर दाताओं से गृह कर की वसूली हेतु षीघ्र कार्रवाई सुनिष्चित की जाए एवं कृत कार्रवाई से इस विभाग को सूचित किया जाए।

Year	**Opening Balance**	**Demand during the year**	**Total**	**Receipt during the year**	**Closing Balance**	**Remarks**
2007-08	463429	139540	602969	0	602969	₹10000 Wrongly taken excess in r/o/Sh. Lachi Ram on.p.no. 47 of House Tax Demand & Collection Register in the opening balance.
2008-09	602969	162666	765635	56160	709475	
2009-10	709475	162666	872141	354151	517990	
2010-11	517990	162666	680656	167232	513424	
2011-12	513424	162666	676090	80133	595957	

¼[k½ xg dj dh de nj ls olyh djus ds dkj.k ₹526802@& dh gkfu½&

हिमाचल प्रदेष सरकार की अधिसूचना संख्या UD-H(C)-7/98-II Dated 17-11-2003 के अनुसार नगर पंचायत अपने अधीन क्षेत्र में निर्मित भवनों पर 12.5% की दर से गृहकर वसूल करेगा। अंकेक्षण के दौरान गृह कर की जॉच करने पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा अपने अधीन क्षेत्र में निर्मित भवनों पर 7.5% की दर से गृह कर वसूल किया गया है। इस प्रकार नगर पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेष, सरकार के दिषा निर्देषों की अवहेलना करके कम दर से गृह कर वसूलने के कारण नगर पंचायत को ₹526802/—की हानि हुई जिसका विवरण निम्न प्रकार से दिया गया है। अतः कम दर से गृह कर की वसूली करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में गृहकर की 12.5% की दर से वसूली की जानी सुनिष्चित की जाए। इस सन्दर्भ में कृत कार्रवाई से इस विभाग को सूचित किया जाए।

हाउस टैक्स की कम दर से वसूलने के कारण वित्तीय हानि का विवरण

Year	Annual Rental Value (₹)	House Tax @ 7.5% (₹)	House Tax @ 12.5% (₹)	Loss of House Tax (₹)
2007-08	1860533	139540	232567	93027
2008-09	2168880	162666	271110	108444
2009-10	2168880	162666	271110	108444
2010-11	2168880	162666	271110	108444
2011-12	2168880	162666	271110	108444
			Total	**₹526803**

¼x½ eksckby Vkoj 'kYd ds :i es ₹30000@&olyh gsrq 'ks"k½&

हिमाचल प्रदेष सरकार के पत्र संख्या DIT-Dev-IT-2005 (Misc) दिनांक 22.08.206 और निदेषक षहरी विकास, हिमाचल प्रदेष के पत्र संख्या यू0डी0एच(ए)(7)—1/2006—10396—10445—46 दिनांक 25.09.2006 के अनुसार नगर पंचायत क्षेत्र में मोबाईल टावर लगाने हेतु ₹10000/—स्थापना षुल्क तथा ₹5000/—वार्षिक नवीनीकरण षुल्क की वसूली करनी अपेक्षित थ। नगर पंचायत के मोबाईल टावर नवीनीकरण रजिस्टर की जांच मे ंपाया गया कि निम्न मालों में विभिन्न कम्पनियों से दिनांक 31.3.2012 तक मोबाईल टावर नवीनीकरण षुल्क की ₹30000/—की वसूली हेतु षेष थी जिसका वर्षवार निम्न प्रकार से दिया गया है। अतः नवीनीकरण षुल्क वसूल न करने का औचित्य स्पष्ट किया

जाए और नवीनीकरण षुल्क की षीघ्र वसूली की जाए एवं कृत कार्रवाई से इस विभाग को षीघ्र सूचित किया जाए।

ekckby Vkoj uohuhdj.k 'kYd fooj.k%&

Ø0 l0	o"k	ekckby Vkoj dEiuh dk uke	LFkkiuk 'kYd	0kf"kd uohuhdj.k 'kYd	dy ;kx	jkf'k tk tek dh xb	o"k d vUr e n; jkf'k
1	2006–07	बी0एस0एल0	10000	षून्य	10000	षून्य	10000
2	2007–08		षून्य	5000	5000	षून्य	15000
3	2008–09		षून्य	5000	5000	षून्य	20000
4	2009–10		षून्य	5000	5000	षून्य	25000
5	2010–11		षून्य	5000	5000	षून्य	30000

¼?k½ ekckby Vkojk d uohuhdj.k 'kYd e 25% c<krjh u dju d dkj.k ₹6250@& dh de olyh djuk%&

प्रत्येक पॉच वर्षों के उपरान्त मोबाईल टावरों के वार्षिक नवीनीकरण षुल्क में 25% की वृद्धि की जानी नियमानुसार अपेक्षित थी परन्तु नगर पंचायत के मोबाईल टावर रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा बी0एस0एन0एल0 कम्पनी से मोबाईल टावर के वार्षिक नवीनीकरण षुल्क में 25% की वृद्धि नहीं की गई थी तथा न ही वर्ष 2011–12 के नवीनीकरण षुल्क की वसूली की गई। इस प्रकार उक्त कम्पनी से नीवीनकरण षुल्क की ₹6250/– की कम वसूली की गई, जिसका विवरण निम्न प्रकार से दिया गया है। अतः नवीनीकरण षुल्क कम वसूल करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा कम नवीनकरण षुल्क वसूल करने के परिणामस्वरूप नगर परिषद को जो हानि हुई की भरपाई उचित माध्यम से की जाए एवं कृत कार्रवाई से इस विभाग को सूचित किया जाए।

dEiuh dk uke	ekckby Vkoj dh LFkkiuk dk o"k	ikp o"k d mijkUr fu;e o"k	25% of) d mijkUr n; uohuhdj.k 'kYd	Ukohuhdj.k 'kYd tk fy;k x;k	De yh xb jkf'k
बी0एस0एन0एल0	2006–07	2011–12	6250	षून्य	6250

¼3½ nqdkuksa ds fdjk;s ds :i esa ₹1244012@&dh olwyh gsrq 'ks"k&

दुकानों से प्राप्त किराए आय की जॉच करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2012 को दुकानों के किराये के रूप में ₹1244012/–वसूली हेतु षेष थी जोकि चिन्ता का विषय है। दुकानों के किराये की वसूली हेतु षेष राषि में वर्ष दर वर्ष वृद्धि हो रही है जैसा कि निम्न सारणी द्वारा स्पष्ट होता है परन्तु नगर पंचायत द्वारा उक्त वसूली हेतु कोई विषेष प्रयास नहीं किए जा रहे है। अतः सचिव, नगर पंचायत द्वारा इस वसूली हेतु ठोस कार्रवाई न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस सन्दर्भ में षीघ्र कार्रवाई करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

Year	Opening Balance	Demand Durig the year	Total	Receipt During the year	Closing Balance	Remarks
2007–08	960451	369168	1329619	239651	1089968	
2008–09	1089968	369168	1459136	534728	924408	
2009–10	924408	369168	1293576	192200	1101376	
2010–11	1101376	369168	1470544	320000	1150544	
2011–12	1150544	369168	1519712	275700	1244012	

¼p½ nqdkuksa dk vfu;fer vkcaVu djus ls ₹108750@&dh gkfu&

नगर पंचायत की दुकानों से सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच करने पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा प्रस्ताव संख्या 38, दिनांक 22.5.06 पारित करके दुकान संख्या 27 और 28 क्रमषः श्री माथु राम तथा श्री राजेष चौहान को किराये पर दी गई थी, जो कि उनके द्वारा कुछ समय के बाद खाली कर दी गई थी जिसका विवरण निम्न दिया गया है।

Sr. No.	Name of the Shopkeeper	Shop No.	Rent per month	Date of vacation of shop	Rent Register Page No.
1	Sh. Mathu Ram	27	2500	16-5-07	60 & 61
2	Sh. Rajesh Chauhan	28	1500	08-01-07	62 & 63

हिमाचल प्रदेष सरकार की अधिसूचना संख्या LSG-F(6)-1/85-iv dated 29.06.99 के नियम 4 के अनुसार कोई भी नगर पंचायत अपनी दुकान को बिना खुली बोली के किसी भी व्यक्ति को आबटित नहीं कर सकती परन्तु नगर पंचायत द्वारा इस नियम की अनदेखी करके इन खाली दुकानो को बिना खुली बोली के लोकेन्दर एवं राजेष चौहान को केवल एक प्रार्थना

पत्र के माध्यम से कम किराए पर अनियमित रूप से पुनः आबंटित कर दिया गया। ऐसा करने से नगर पंचायत को ₹108750/—की हानि हुई जिसका विवरण निम्न दिया गया हैः—

Sr.No./ Rent Register Page No	Name of the Shopkeeper	Shop No.	Date of Allotment	Rent per month	Rent per month previously	Difference of Rent per month	Period	Total Loss of Rent up to 31.3.2012
1/84 & 85	Sh. Lokender	28	01-07-07	500	1500	1000	47 month	47000
2/82 & 83	Sh. Rajesh Chauhan	27	16-04-08	1200	2500	1300	47.5 months	61750
							Total:-	**108750**

अतः उक्त अनियमितता के कारण स्पष्ट किए जाएं तथा अपेक्षित ₹108750/—'की वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए तथा इस प्रकरण में 31.3.12 के पष्चात भी अपडेटिड वसूली की गणना संस्था स्तर पर की जाए तथा उक्त दुकानों को खाली करवाकर खुली बोली/नीलामी की प्रक्रिया अपनाकर ही आबंटित किया जाए।

¼N½ 'kjkc 'kYd dh jkf'k dh olyh ls lEcfU/kr fooj.k iLrr u djuk&

हिमाचल प्रदेष सरकार के पत्र संख्या यू0एल0बी0—एच(सी)(9)—28/96—1, दिनांक 01.12.99 के अनुसार नगर परिषद क्षेत्र के अन्दर षराब के ठेकों से बिकने वाली षराब की बोतलों पर 1.00 प्रति बोतल की दर से आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा सम्बन्धित स्थानीय निकायों को भुगतान किया जाना था। अंकेक्षण के दैरान पाया गया कि आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा वर्ष 2007—08, 2008—09, 2009—10 और 2010—11 में षराब षुल्क की राषि, निम्न विवरणानुसार नगर पंचायत के बैंक खाते में जमा करवाई गई थी परन्तु इस राषि के सही होने से सम्बन्धित अन्य कोई विवरण/साक्ष्य नगर पंचायत के अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था और न ही नगर पंचायत द्वारा इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार आबकारी एवं कराधन विभाग से आज तक किया गया था जिसके अभाव में प्राप्त राषि के सही होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः सचिव, नगर पंचायत को सुझााव दिया जाता है कि आबकारी एवं कराधान विभाग, हिमाचल प्रदेष से नगर पंचायत क्षेत्र में षराब की बोतलों की बिक्री का विवरण प्राप्त किया जाए ताकि षराब षुल्क की प्राप्ति राषि के सही होने की पुष्टि की जा सके। इसके अतिरिक्त आबकारी

विभाग से वर्ष 2011–12 में षराब षुल्क की वसूली हेतु कार्यवाही की जाए तथा कृत कार्रवाई से इस विभाग को सूचित किया जाएः–

o"kZ	'kjkc 'kqYd dh jkf'k	cSad [kkrs esa jkf'k tek djokus dk fooj.k
2007–08	127285	04.04.2007, 06.11.2007
2008–09	136562	03.07.2008, 27.10.2008
2009–10	33603	19.01.2010
2010–11	179369	17.05.2010, 29.03.2011

¼t½ fctyh 'kqYd dh olwyh u djuk%&

हिमाचल प्रदेष सरकार की अधिूसचना संख्या एल0एस0जी0–(डी)(1)–9/94, दिनांक 01.12.99 के अनुसार नगर पंचायत द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र की परिधि मे ंखर्च होने वाली बिजली पर प्रति यूनिट 1 पैसा की दर से षुल्क हिमाचल प्रदेष बिजली बोर्ड से वसूल किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण मे ंपाया गया कि बिजली षुल्क की वर्ष 2008–09 के दौरान ₹38400/–की दिनांक 02.07.2008 को वसूली की गई थी। इसके अतिरिक्त अन्य वर्षों अर्थात वर्ष 2007–08, 2009–10, 2010–11, 2011–12 में कोई वसूली नहीं की गई और न ही हिमाचल प्रदेष बिजली बोर्ड से इस सम्बन्ध में कोई इस षुल्क की मॉग हेतु कोई पत्राचार किया गया। अतः उपरोक्त वर्षों हेतु बिजली षुल्क की वसूली बारे हिमाचल प्रदेष बिजली बोर्ड से बिजली षुल्क की मॉग न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए एवं हिमाचल प्रदेष बिजली बोर्ड से अपेक्षित बिजली षुल्क की वसूली हेतु प्रयास किए जाएं तथा कृत कार्रवाई से इस विभाग को सूचित किया जाए।

¼>½ rgcktkjh 'kqYd%&

अंकेक्षण के दौरान तहबाजारी से प्राप्त आय की जॉच करने पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा तहबाजारी षुल्क की वसूली जी–8 रसीद द्वारा की जा रही थी जबकि हिमाचल प्रदेष म्यूनिसिपल अकाऊंट कोर्ड 1975 के नियम 158 के अनुसार तहबाजारी षुल्क की वसूली तहबजारी टिकट आर–4 पर की जानी अपेक्षित थी। इसके अतिरिक्त तहबाजारी षुल्क की

कोई दर नगर पंचायत द्वारा निर्धारित नहीं की गई थी। इस सम्बन्ध में पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2005 से 03/2007 के अंकेक्षण पैरां सख्या 3 (ग) में भी आपति दर्ज की गई थी परन्तु वर्तमान अंकेक्षण की समाप्ति तक इस सम्बन्ध में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी। अतः तहबाजारी आय के सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेष म्यूनिसिपल अकाऊंट कोर्ड 1975 के नियम 158, 159, 160 के अनुसार कार्रवाई की जाए एवं कृत कार्रवाई से इस विभाग को षीध्र सूचित किया जाए।

¼´½ jkdM ogh e iafof"V fd, fcuk gh ₹10000 dh vk; dk [kp djuk ckj&

म्यूनिसिपल अकाऊंट कोड 1975 के नियम 169 के अनुसार नगर पंचायत द्वारा सभी प्राप्तियों की सबसे पहले जनरल रोकड़ वही में प्रविष्टि की जाएगी उसके उपरान्त चैक द्वारा व्यय का भुगतान जायेगा। अंकेक्षण में जनरल रोकड़ वही एवंम जी–8 रसीदों का मिलान करने पर पाया गया कि ₹10000/– की आय जी–8 रसीद संख्या 10888 दिनांक 09.06.2010 द्वारा स्टॉल के रेट षीर्षक के अन्तर्गत लोक अदालत जुब्बल के फैसले के अनुसार प्राप्त की गई थी परन्तु इस आय को नगर पंचायत के बैंक खाते मे ंजमा नहीं करवाया गया अपितु प्रधान नगर पंचायत जुब्बल द्वारा सीधे ही वकील की फीस का भुगतान नकद कर दिया गया। अतः म्यूनिसिल अकाऊंट कोर्ड 1975 के नियम 169 की अवहेलना करके वकील की फीस का सीधे ही नकद भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में इस तरह की चूक से परिहार किया जाए।

¼V½ flapkbZ ,oa tu LokLF; foHkkx ls izkIr ₹300000@& ls lEcfU/kr vfHkys[k vads{k.k esa miyC/k u djuk&

रोकड़ वही पृष्ठ संख्या 23 दिनांक 28.5.2007 की जॉच करने पर पाया गया कि ₹300000 सिचांई एवं न स्वास्थ्य विभाग जुब्बल से नगर पंचायत क्षेत्र में रास्ते व गलियों को खोदने के एवज मे ंप्राप्त हुई थी परन्तु सिचांई एवंम जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा कितनी लम्बाई के रास्ते व गलियों की खुदाई की गई एवं किस दर से सिचांई एवं जन स्वास्थ्य विभाग जुब्बल ने नगर पंचायत को भुगतान किया गया इत्यादि का विवरण अभिलेख में उपलब्ध नहीं था तथा न ही इस प्रकार का कोई अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत किया गया जिसके अभाव में प्राप्त राषि की पूर्ण जॉच नहीं की जा सकी। अतः आवष्यक अभिलेख/विवरण आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाना सुनिष्चित किया जाए।

¼B½ fgekpy izns'k ljdkj ds funs'kksa dh vuns[kh djds ,fPNd djksa dk vf/kjksfir u djuk&

नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 66(1) के अनुसार प्रत्येक नगर पंचायत हिमाचल प्रदेष सरकार की पूर्व अनुमति से अपनी आय से स्त्रोत को बढ़ाने हेतु करों को अधिरोपित करेगा। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेष षहरी विकास की अधिसूचना संख्या LSG-D(1)-9/94 PART IV Dated 13.12.2000 द्वारा निम्नलिखित कर नगर पंचायत क्षेत्र में दिनांक 01.01.2001 से लगाए्र गए थे परन्तु अंकेक्षण मे ंपाया गया कि नगर पंचायत द्वारा ऐसा कोई भी कर नगर पंचायत क्षेत्र में अधिरोपित नहीं किया गया था। अतः सरकार के निर्देषों की अनदेखी कर करों को अधिरोपित न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए एवं इस सम्बन्ध में उचित कार्रवाई की जाए और कृत कार्रवाई से इस विभाग को षीध्र सूचित किया जाए।

1	पालतू कुतों पर कर
2	वीडियों षो टैक्स
3	व्यापार कर

¼M½ fofHkUu i`dkj d` L=krk` l` ikIr vk; l` lEcfU/kr vfHkys[k dk` r`;kj u djuk%&

जन्म मुत्यु षुल्क, विवाह पंजीकरण रजिस्टर और भवन आवदेन षुल्क की जॉच करने पर यह पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा इन आय से सम्बन्धित अभिलेख तैयार नहीं किए गए थे जिसके अभाव में प्राप्त आय की पूर्ण जांच नहीं की जा सकी। अतः वर्तमान में एकत्रित आय से सम्बन्धित आवष्यक अभिलेख तैयार किए जाएं और आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाये जाने सुनिष्च्त किया जाए।

¼<½ th&8 jlhn cid l` ikIr vk; ₹925@& dk` cid [kkr` e` tek u djokuk tkuk%&

जी–8 रसीद से प्राप्त विभिन्न आय की जॉच करने पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार प्राप्त आय ₹925/– को अंकेक्षण समाप्ति तक नगर पंचायत के बैंक खाते में जमा नहीं करवाया गया था। इस प्रकार प्राप्त आय को बैंक खाते में जमा न करवाने से इस राषि के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः इस सम्बन्ध में संस्था स्तर पर में पूर्ण छानबीन कि जाए और ₹925/– ब्याज सहित नगर पंचायत बैंक खाते में जमा करवाई जानी सुनिष्चित की जाए तथा भविष्य में इस तरह की चूक से परिहार किया जाए एवं प्रतिदिन प्राप्त राषि का उसी दिन या अगले कार्यदिवस को बैंक खाते में जमा करवाया जाना सुनिष्चित किया जाए।

Date	G 8 Receipt No.	Amount Collected (₹)	Amount Deposited in Bank A/C (₹)	Amount less deposited in bank (₹)
30-.06.2008	10105 to 10110	3240	3000	240
31.07.2008	10123 to 10205	5305	5000	305
18.06.2007	9914 to 9926	15657	15637	20
16.09.2008	10231 to 10423	2515	2315	200
17.06.2009	10632 to 10659	21120	21040	80
15.12.2009	10772 to 10805	20460	20380	80
	Total	**68297**	**67372**	**₹ 925**

¼.k½ th&8 jlhnksa dk LVkWd jftLVj u cuk;k tkuk%&

अंकेक्षण में जॉच करने पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा जी 8 रसीदों का स्टॉक रजिस्टर नहीं बनाया गया था। जी–8 रसीदों का स्टॉक रजिस्टर न बनाए जाने के कारण इस तथ्य की पूर्ण जॉच नहीं की सकी कि अंकेक्षण अवधि 04/2007 से 03/2012 के दौरान कितनी जी–8 रसीदें जारी की गई थी एवं जारी की गई जी–8 रसीदों द्वारा प्राप्त राषि का रोकड़ वही में पूर्ण लेखांकन किया भी गया या नहीं। अतः जी–8 रसीदों का स्टॉक रजिस्टर को न बनाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए एवं अविलम्ब जी–8 रसीदों का स्टॉक रजिस्टर बनाया जाना सुनिष्चित किया जाए एवं कृत कार्रवाई से इस विभाग से षीध्र सूचित किया जाए।

¼r½ th&8 tkjh djus gsrq mfpr izfØ;k u viuk;k%&

निदेशक षहरी विकास के पत्र संख्या 1–6306–UD(Audit) Vol-1 12812-12861 दिनांक 15.11.2006 के अन्तर्गत जी–8 रसीदें जारी करने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को समय–समय पर प्रस्ताव पारित करके अधिकृत करने हेतु निदेष जारी किये गये थे। इसके अतिरिक्त नई रसीद बुकें तभी जारी की जानी थी जब पुरानी रसीद बुकें प्रयोग कर ली गई हो। इसके अतिरिक्त प्रयोग की गई जी–8 रसीदों पर निम्न वर्णित प्रमाण पत्र कि इनके द्वारा प्राप्त की गई राषि का लेखांकन जनरल रोकड़ वही में कर लिया गया है तथा इससे प्राप्त राषि को सम्बन्धित बैंक खाते में जमा हो गई है भी दर्ज किया जाना अपेक्षित था परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा इस सन्दर्भ में निर्धारित प्रक्रिया की अनुपालना नहीं की जा रहा है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये। इस सन्दर्भ में अनुपालना हेतु परामर्ष दिया जाता है कि भविष्य में जी–8 का रखरखाव सरकार के निर्देषों के अनुसार ही सुनिष्चित किया जाना सुनिष्चित किया जाए।

9 0;;%&

नगर पंचायत जुब्बल के व्यय पक्ष की जांच में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः–

¼d½ ₹69250@&ekun; dk vufpr Hkxrku%&

नगर पंचायत के सचिव का अतिरिक्त कार्यभार तहसीलदार/नायब तहसीलदार को सौंपा गया था जिसके लिए तहसीलदार/नायब तहसीलदार को मानदेय के रूप में प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा था जो कि नियमानुसार देय नहीं था। हिमाचल प्रदेष सरकार द्वारा समय–2 पर जारी निर्देषों के अनुसार यदि किसी सरकारी अधिकारी को अतिरिक्त कार्य सौपा जाता है तो उसके लिए किसी भी प्रकार का कोई मानदेय का भुगतान नहीं किया जायेगा। इस प्रकार सरकार के निर्देषों की अनदेखी करके निम्नविवरणानुसार ₹69250/–का मानदेय के रूप में अनुचित भुगतान किया गया। अतः नियमों के विरूद्ध मानदेय के भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा भुगतान की गई मानदेय की राषि की वसूली सम्बन्धित अधिकारी से की जानी सुनिष्चित की जाए एवं कृत कार्रवाई से इस विभाग को षीध्र सूचित किया जाए।

Name of Officer	Period	Amount Paid as honorarium
Sh. OP Thakur, Tehsildar	04/07 to 10/07	7000
Sh. Sidhrath Achharya, Tehsildar	11/07 to 08/08	10000
Sh. Jia Lal Chauhan, Naib Tehsildar	09/08 to 11/08	3000
Sh. Sidhrath Achharya, Tehsildar	12/08 to 02/10	15000
Sh. Jai Lal Chauhan, Naib Tehsildar	03/10 to 08/10	6000
Sh. A.N. Thakur, Tehsildar	09/10 to 07/11	11000
Sh. A.N. Thakur, Tehsildar	08/11 to 01/12	9000
Sh. I.K. Gautam, SDO PWD	03/10 to 08/10	6000
Sh. Payare Lal, Patwari	05/07 to 07/08	2250
	Total	69250

¼[k½ fctyh dk fcy dk foyEc ls Hkxrku djus ij ₹1346@&dk vufpr Hkxrku%&

नगर पंचायत जुब्बल द्वारा बिजली विभाग को बिजली के बिलों का भुगतान देरी से करने के कारण देय बिजली बिलों पर 1% सरचार्ज के रूप में ₹1346/–अतिरिक्त भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्न दिया गया है। अतः देरी से बिजली बिलों के भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अतिरिक्त भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिष्चित की जाए तथा कृत कार्रवाई से इस विभाग को षीध्र सूचित किया जाए।

Cash Book P.No.	Voucher No./Date	Meter No.	Period for which payment has been made	Total amount Paid with 1% Surcharge	Payment due without Surcharge	Excess payment
44	2/08.11/07	00265377	No. detail given	41040	40630	410
44	3/08.11.07	00265378	No. detail given	75038	74287	742
44	4/08.11.07	00265379	No. detail given	19678	19481	194
					Total	**₹ 1346**

¼x½ gokbZ tgkt ls ;k=k djus ij ₹11550@&dh ;k=k HkŸkk dk vfu;fer Hkqxrku¼&

okÅpj la[;k 4] fnukad 31-05-2011] ₹13662@&¼&

₹13662 ⁄ –का भुगतान श्री षैलेन्दर जिन्टा कनिष्ठ अभियन्ता नगर पंचायत जुब्बल को जुब्बल से अहमदाबाद (गुजरात) की यात्रा हेतु किया गया था। श्री षैलेन्दर जिन्टा निदेषक षहरी विकास हिमाचल प्रदेष के आदेषानुसार "Programme on GIO-Informatic at BISAG Gujrat (Gandhi Nagar)" में उपस्थित होने के लिए दिनांक 07.05.2011 से 15.05.2011 के दौरान अहमदाबाद गए थे। श्री षैलेन्दर जिन्टा कनिष्ठ अभियन्ता ने दिल्ली से अहमदाबाद (गुजरात) और वापसी की यात्रा हवाई जहाज से की थी जो उनको देय नहीं थी क्योंकि उस समय उनका मूल वेतन ₹6400 ⁄ –प्रति माह था था और इस मूल वेतन पर हवाई जहाज से यात्रा देय नहीं थी। अतः हवाई जहाज से की गई यात्रा के किराए की राषि को उनको देय रेल किराए की राषि से नियमित किया जाना चाहिए था परन्तु ऐसा न करके उनको हवाई जहाज का किराए का भुगतान किया गया। इस प्रकार उनको ₹11550 ⁄ –के यात्रा भत्ते का अनियमित भुगतान किया गया। अतः इस प्रकरण में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को षीध्र सूचित किया जाए।

10 fuekZ.k dk;Z djokus rFkk lEcfU/kr lkeku dh [kjhn ij fd, x, O;;¼&

¼d½ foHkkxh; dk;ksZ dk vf/kd eY; fu/kkZfjr djuk¼&

अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य विभागीय तौर पर मस्ट्रोल द्वारा करवाए गए थे। इन मस्ट्रोलों के भुगतान से सम्बन्धित व्यय वाऊचरों की पड़ताल करने पर पाया गया कि विभागीय कार्य का मूल्य निर्धारित करते समय इस मूल्य में से निम्न लिखित चार्जिज को नहीं घटाया गया था जिसके परिणाम स्वरूप इन कार्यो का अधिक मूल्य निर्धारित किया गया है जोकि नियमानुसार उचित नहीं है। अतः अधिक मूल्य के निर्धारण को न्यायोचित ठहराया जाए तथा कृत कार्रवाई से इस विभाग को षीध्र सूचित किया जाए।

Vr. No./Date	**Name of work**	**MB No./Page No.**	**Cost of Work as Calculated by the NP JE without deducting the 16.5% Charges**	**Cost of work done as calculated by the audit after deducting 16.5%Charges (CP+OH Charges+Water Charges)**	**Amount Paid by Mustroll**	**Excess payment**
1/12.04.07	C/O Toilet in Ward No. 3	IA/23&24	11248	9392.08	9581.00	189.00
1/04.06.07	C/O Toilet in Ward No. 3	IA/29	12680	9745.00	10740.00	995.00
1/06.08.11	M/O of Bauri (P/L of Red stone)	IB/183	53140	44372.00	44930.00	558.00
1/07.10.08	C/O Path Siwala Temple	IA/60	28204	23550.00	23912.00	362.00
12/02.08.11	Painting in Railing of NP in Different Wards	IB/172	10993	9180.00	9291.00	111.00
1/04.08.11	Exavation/Maintenance of street Light Under ground	IB/178	85550	71434.00	73920.00	2486.00
1/06.08.11	Maintenance of Bauri (P/L Red Stone)	IB/183	53140	44372	44930	558
1/03.08.11	C/O Path from slaughter to taka ki God		19727	18142	19727	1585
			Total :-			6844

¼[k½ **Serviceable Meterial** LVku dh i:fof"V **MAS** jftLVj e: u dju: ckj½&

वाउचर संख्या 1 दिनांक 12.04.2007 ₹9581/–

वाउचर संख्या 1 दिनांक 04.06.2007 ₹10740/–

निर्माण कार्य का नाम	C/o Toilet in ward No. 3
संविदाकार का नाम	Departmental work
Abstract of Cost MB	Page No. 23 & 24, 29 of IA

उक्त निर्माण कार्य हेतु "Excavation in earth work" जिसकी मात्रा 21.62 घन थी तथा जिसकी प्रविष्टि MB Page No. 23, 24&29 पर की गई थी को 50% Soft Rock & 50% Hard Rock हेतु लिया गया था परन्तु अभिलेख की पड़ताल पर पाया गया कि इस खुदाई में किसी भी प्रकार के Serviceable Material की कोई भी प्रविष्टि MAS रजिस्टर में नहीं की गई थी जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं तथा संस्था स्त्तर पर इस प्रकरण में आवष्यक जांच करके कृत कार्रवाई से इस विभाग को षीध्र सूचित किया जाए।

¼x½ iRFkj rFkk j:r dh lIykb: dh xb: ek=k dh xyr x.kuk djd: l:fonkdkj dk ₹3847@&dk vf/kd Hkqxrku djuk&

नगर पंचायत जुब्बल द्वारा निम्न प्रकरणों में पत्थर, रेत इत्यादि के सप्लाई के बिलों में से नियमानुसार व्याडस (Voids) की अपेक्षित कटौती नहीं की गई थी। इस प्रकार व्याडस (Voids) की कटौती न किए जाने के कारण संविदाकार को अधिक भुगतान किया गया। अतः संविदाकार को किए गए अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिष्चित की जाए तथा कृत कार्रवाई से इस विभाग को षीध्र सूचित किया जाए।

Vr. No.	Type of Material	Quantity of Material	Rate per m^3	Paid amount	Admissible Voids	Excess payment to Contractor
3/06.11.07	Soling Stone	23.10 m^3	433	10002	2.88 m^3	1247
4/04.08.11	Sand	600 m^3	26	15600	30.00 m^3	780
1/05.07.11	Sand	1400m^3	26	36400	70.00 m^3	1820
					Total	**3847**

¼?k½ okÅpj l:[;k 7] fnukd 03-02-2010] ₹145288@& ½&

निर्माण कार्य का नाम	M/T of Road in Ward No. 3
संविदाकार का नाम	Sh. Goverdhan Chajtta
Date of Allotment	08.07.2009
Date of Completion	27.10.09
Abstract of cost MB	Page No. 83 of IA

उपरोक्त निर्माण कार्य श्री गोवर्धन छाजटा संविदाकार को हिमाचल प्रदेष सरकार की दर सूची 1999 पर 171.03% प्रीमियम की दर पर आबंटित किया गया। इस निर्माण कार्य में निम्न आपत्तियॉ दर्ज की गई।

¼i½ <u>lafonkdkj dk ₹942@&dk vf/kd Hkqxrku</u>½&

इस कार्य में गलत गणना किए जाने के कारण संविदाकार को ₹942/–का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्न दिया गया है। अतः संविदाकार को अधिक भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹942/–की वसूली उचित माध्यम से की जाए एवं कृत कार्रवाई से इस विभाग को षीध्र सूचित किया जाए।

Record MB No/Page No.	Measurement Taken	Measurement Should be	Difference	Negoti-ated Rate	Excess payment
	Wearing Coat with Broken and crushed stone				
IA/83	3.20x(3.75+2.35)/2x0.075=0.732 m^3	3.20x(2.35+2.35)/2x0.075=0.564 m^3	0.168 m^3	1360	228
	7x(2.20+2.10)/2x0.75=1.181 m^3	7x(2.20+2.10)/2x0.075=1.128 m^3	0.053 m^3	1360	72
	Preparing surface by brushing				
	3.20x(3.75+2.35)/2=9.76 m^3	3.20x(2.35+2.35)/2=7.52 m^2	2.24 m^2	95/-per 10 sqmtr	21
	7x(2.20+2.10)/2=15.75 m^2	7x(2.20+2.10)/2=15.05 m^2	0.70 m^2	95/- per 10sqmtr	7
	P/L Primary Coat				
	3.20x(3.75+2.35)/2=9.76 m^2	3.20x(2.35+2.35)/2=7.52 m^2	2.24 m^2	390/- per 10 sqmtr	87
	7x(2.20+2.10)/2=15.75 m^2	7x(2.20+2.10)/2=15.05 m^2	0.70 m^2	390/- per 10 sqmtr	27
	2cm Consolidated thick single corse pre mixed carpet				
	3.20x(3.75+2.35)/2=9.76 m^2	3.20x(2.35+2.35)/2=7.52 m^2	2.24 m^2	1260/- per 10 sqmtr	282
	7x(2.20+2.10)/2=15.75 m^2	7x(2.20+2.10)/2=15.05 m^2	0.70 m^2	1260/- per 10sqmtr	88
	Pre mixed Seal Coat				
	3.20x(3.75+2.35)/2=9.76 m^2	3.20x(2.35+2.35)/2=7.52 m^2	2.24 m^2	440/-per	99

				10 sqmtr	
	7x(2.20+2.10)/2=15.75 m^2	7x(2.20+2.10)/2=15.05 m^2	0.70 m^2	440/- per 10sqmtr	31
			Total		₹ 942

¼ii½ उपरोक्त बिल में सेल्स टैक्स एवं आय कर की क्रमषः ₹3605/–एवं ₹3205/– की कटौती की गई परन्तु सेल्स टैक्स एवं आय कर की कटौती की गई राषि को सम्बन्धित विभागों में जमा नहीं करवाया गया। अतः कटौती की गई राषि को अविलम्ब सम्बन्धित विभागों में जमा करवाया जाए तथा कृत कार्रवाई से इस विभाग को षीध्र सूचित किया जाए।

¼iii½ इस निर्माण कार्य में संविदाकार से कटौती की गई धरोहर राषि की प्रविष्टि धरोहर राषि के रजिस्टर में नहीं की गई। अतः अपेक्षित प्रविष्टि धरोहर राषि के रजिस्टर में न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अभिलम्ब इसकी प्रविष्टि धरोहर राषि रजिस्टर में की जाए।

¼3½ dkj ikfdZx d fuekZ.k dk;Z u vk;dj rFkk fcØh dj dh Bdnkj d fcy l dVkrh djd lEcfU/kr foHkkx e tek u djokuk&
okmpj l[;k 1 fnuk d 24-02-2011 ₹351901@&

कार पार्किंग के निर्माण के लिए ₹351901/–का भुगतान श्री इंदर चौहान संविदाकार को पहले और अन्तिम निर्माण बिल हेतु किया गया था। इस निर्माण बिल की जांच में पाया गया कि संविदाकार के कार्य बिलों से की गई आय कर तथा बिक्री कर की कटौती सम्बन्धित विभाग में जमा नहीं करवाई गई थी। अतः आय कर तथा बिक्री कर की कटौती को सम्बन्धित विभाग में जमा न करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए साथ में यह भी परामर्ष दिया जाता है कि संस्था स्त्तर आवष्यक जांच करके अभिलम्ब आयकर तथा बिक्री कर की कटौती को सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाए तथा कृत कार्रवाई से इस विभाग को षीध्र सूचित किया जाए।

¼p½ **H.P. Building & Other Construction Workers Rules,** 2008 d fu;e 3 ¼1½ d vUrxr fuekZ.k dk;k dh fuekZ.k ykxr dk 1% dh nj l **Worker & Labour Cess** dk u yxk;k tkuk&

हिमाचल प्रदेष सरकार के पत्र संख्या 1–2000(Lab)BCWA दिनांक 30.01.2009 द्वारा सभी नगर परिषदों को यह निर्देष दिये गए थे कि H.P. Building & Other Construction workers Rules, 2008 के नियम 3 (1) के अन्तर्गत सभी निर्माण कार्यो की निर्माण लागत पर 1% की दर से "Labour worker Cess" की कटौती की जाए और इस प्रकार एकत्रित राषि

को कटौती की तिथि से 30 दिनों के भीतर "HP Building and Other Construction Workers welfare Board" के पास जमा करवाया जाए। नगर पंचायत के वर्ष 2008–09, 2009–10, 2010–11 एवं 2011–12 के निर्माण कार्यो के विभिन्न चलित बिलों की पड़ताल करने पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा संविदाकार के चलित बिलों से उपरोक्त वर्णित "Labour & Worker Cess" की कटौती नहीं की गई थी। अतः इस हिमाचल प्रदेष सरकार के निर्देषों की अनदेखी करके "Labour & Worker Cess" की कटौती न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए एवं सभी प्रकार के निर्माण कार्यो की लागत का 1% की दर से "Labour & Worker Cess" की कटौती करके सम्बन्धित विभाग/बोर्ड से जमा करवाई जानी सुनिष्चित की जाए एवं कृत कार्रवाई से इस विभाग से षीघ्र अवगत करवाया जाए।

¼N½ nhid byfDVªdy LVksj tqCcy ls ₹199734@&dk fctyh dk lkeku dh [kjhn esa ikbZ xbZ vfu;ferrk,¡&

¼okÅpj l[;k 1 fnukad 17-6-2008] ₹199734@&½

नगर पंचायत जुब्बल द्वारा ₹199734/–का भुगतान चैक संख्या 748692 दिनांक 17.06.2008 द्वारा मै0 दीपक इलैक्ट्रिकल स्टोर जुब्बल, जिला षिमला को निम्न बिजली के सामान की खरीद हेतु किया गया।

[kjhns x, lkeku dk fooj.k

Particulars	No.	Rate	Total amount
T-8 Light Fixture	70	2980	208600.00
Less: Deduction			
Income Tax @2.25%			
Sale Tax @ 2%			8866.00
Net payment			₹199734.00

bl Hkkxrku esa fuEu vfu;ferrk;sa ikbZ xbZ ½&

¼i½ उक्त खरीद हेतु नगर पंचायत के अभिलेख में तीन निविदाएं अभिलेख में उपलब्ध थी परन्तु निविदाओं की पड़ताल करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि अभिलेख में उपलब्ध तीनों निविदाऐं व्यक्तिगत तौर पर एकत्रित की गई थी जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं।

¼**ii**½ उपरोक्त सामान किसी रेट कान्ट्रैक्ट अधिसकृत फर्म से नहीं खरीदा गया था जिसके परिणाम स्वरूप हिमाचल प्रदेष सरकार द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर सामान नहीं खरीदा गया। अतः रेट कान्ट्रैक्ट अधिकृत फर्म से सामान न खरीदने का औचित्स स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में इस तरह के सामान की खरीद रेट कान्ट्रैक्ट अधिकृत फर्म से ही खरीद करना सुनिष्चित किया जाए।

उक्त (i) तथा (ii) में वर्णित अनियमितताओं के दृष्टिगत इसका नियमितकरण सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से करवाया जाए।

¼t½ lheUV dh [kjhn fgekpy izns'k ukxfjd [kk| ,oa vkiwfrZ foHkkx ls u djus ls dkj.k ₹11390@&dh gkfu%&
okÅpj la[;k 2 fnukad 31-12-2010] ₹56000@&

नगर पंचायत जुब्बल द्वारा ₹56000/–का भुगतान मै0 षुभम एंटरप्राईजिज जुब्बल, जिला षिमला को 200 सीमेन्ट बैग, ₹280/–प्रति बैग की दर से सीमेन्ट की खरीद हेतु किया गया। सीमेन्ट की खरीद से सम्बन्धित भुगतान वाउचरों की पड़ताल करने से पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा सीमेन्ट की खरीद स्थानीय सीमेन्ट विक्रेता से ₹280/–प्रति सीमेन्ट बैग की दर से की गई थी जबकि इस अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेष खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा सीमेन्ट के बैग को निर्धारित दर ₹223.05/–प्रति सीमेन्ट बैग थी। इस प्रकार नगर पंचायत द्वारा ₹56.95/– प्रति सीमेन्ट बैग अधिक की दर से भुगतान किया गया और परिणामस्वरूप नगर पंचायत को ₹11390/–की हानि हुई। अतः हिमाचल प्रदेष, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से सीमेन्ट की खरीद न करके स्थानीय सीमेन्ट विक्रेता से करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा नगर पंचायत निधि को हुई हानि की भरपाई उचि स्त्रोत से की जानी सुनिष्चित की जाए।

¼>½ nhid vkbdVk tSccy ls ₹28561@&dh bZVksa dh [kjhn fcuk fufonk,a vkefU=r fd, gh djuk%&
okÅpj la[;k 3] fnukad 4-8-2011 ₹28561@&

नगर पंचायत जुब्बल द्वारा ₹28561/– का भुगतान चैक संख्या 593379 दिनांक 04.08.2011 द्वारा मै0 दीपक औकटा जुब्बल, जिला षिमला को निम्न सामान की खरीद हेतु किया गया।

[kjhns x, lkeku dk fooj.k%&

Particulars	No.	Rate	Total Amount
Bricks	2980	9.58	₹28561
Net payment			

उक्त खरीद हेतु किसी प्रकार की निविदाएं खुले बाजार से आमन्त्रित नहीं की गई थी। इस प्रकार निविदाएं आमन्त्रित न करने से नगर पंचायत द्वारा बाजार प्रतिस्पर्दा का लाभ नहीं उठाया जा सका। अतः सामान खरीदने के लिए खुले बाजार से निविदाएं आमन्त्रित न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से उक्त अनियमितता को नियमित करवाया जाए एवं भविष्य में इस तरह सामान की खरीद हेतु खुले बाजार से निविदाएं आमन्त्रित की जाए।

¼´½ **Iron Railing, Steel Gutter** rFkk **Cast Iron Steel Bench** ds dk;Z ij ₹83269@&dk vfu;fer Hkqxrku%&

वाऊचर संख्या 1 दिनांक 25.08.2011, ₹44662

वाउचर संख्या 2 दिनांक 25.08.2011, ₹38607

नगर पंचायत जुब्बल द्वारा उपरोक्त वाउचरों के अन्तर्गत से मै0 राज बैल्डिंग वर्क्स, जुब्बल से निम्न मदों का कार्य करवाया गया।

Brief Description of Purchased item	Quantity	Rate	Total Amount	Cheque No.
Iron Railing	31.50 Feet	1417 Per Feet	44662	593386 Dated 25-8-11
Steel Gutter	1 No.	24429	24429	
Cast Iron Steel Bench	2 Nos	7089 Per Bench	14178	
		Total	**₹ 83269**	

इस कार्य में निम्न अनियमितताये पाई गईः–

¼i½ Iron Railing, Steel Gutter, Cast Iron Steel Bench के कार्य हेतु निविदाएं तय मानकों के अनुसार आमन्त्रित नहीं की गई जैसे कि Iron से सम्बन्धित निविदाये उसके weight के अनुसार आमन्त्रित की जानी चाहिए थी परन्तु नगर पंचायत द्वारा ऐसा न करके Iron Railing की लम्बाई अनुसार व Steel Gutter, Cast Iron Steel Bench की संख्या के अनुसार निविदाएं

आमन्त्रित की गई। जिसक परिणामस्वरूप इस तथ्य की जॉच नहीं की जा सकी संदिाकार द्वारा लगाई गई Iron Railing, Steel Gutter, Cast Iron Steel Bench का वजन कितना था। अतः इस प्रकरण में संस्था स्तर पर जांच करके अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

¼ii½ इस कार्य हेतु आमन्त्रित की गई तीन निविदाएं अभिलेख में उपलब्ध थी परन्तु निविदाओं की पड़ताल करने पर ऐसा प्रतीत होता है की अभिलेख में उपलब्ध तीनों निविदाएं व्यक्तिगत तौर पर एकत्रित की गई थी। इस प्रकार व्यक्तिगत निविदाएं आमन्त्रित करने में नगर पंचायत द्वारा पारदर्षिता नहीं अपनाई गई थी जिससे बाजार प्रतिस्पर्दा का लाभ नहीं उठाया गया जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं।

¼iii½ नगर पंचायत द्वारा उपरोक्त भुगतान *Self चैक संख्या 593386* दिनांक 25.08.2011 द्वारा किया गया था जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं।

¼V½ nhid vkdVk tCcy dk "P/F of LED Lights in N.P.Area" dk;Z ls lEcfU/kr vf/kd Hkxrku rFkk vk; vfu;ferrk,a dk C;kSjk e½&
0kkmpj l[;k 2 fnukd 04-08-2011 ₹292582@&

नगर पंचायत द्वारा ₹292582/–का भुगतान चैक संख्या 593378 दिनांक 04.08.2011 द्वारा श्री दीपक औकटा, जुब्बल, जिला षिमला को P/F of LED Lights in NP Area के लिए किया गया था। इस भुगतान में निम्न अनियमितताएं पाई गईः–

¼i½ Bsdnkj dks ₹5214@&dk vf/kd Hkxrku%&

ठेकेदार के कार्य बिल का विवरण निम्न प्राकर से था।

Particulars	**Cost as Calculated by the Nagar Panchayat Jubbal**	**Cost as Calculated by the Audit**	**Excess payment**
Cost of Work Done	299966	299966	
Less: Income Tax	6599	6599	
Less: Sales Tax @2%	785	5999	
Total Payment Due	**292582**	**287368**	**5214**

उक्त विवरणानुसार सेल्स टैक्स की ₹785/–कटौती की गई जबकि नियमों के ₹5999/– की कटौती की जानी अपेक्षित थी इस प्रकार ठेकेदार को ₹287368/– के स्थान पर ₹292582/– का भुगतान किया गया। ऐसा करने के कारण ठेकेदार को ₹5214/– का अधिक भुगतान किया गया, जिसकी वसूली ठेकेदार से षीघ्र की जाए।

¼**ii**½ इस कार्य के लिए नगर पंचायत द्वारा किसी प्रकार का कोई Detailed Estimate तैयार नहीं किया गया था जिसके अभाव में इस तथ्य की जॉच नहीं की जा सकी की LED Lights के कितने Points नगर पंचायत क्षेत्र में लगाये जाने थे।

¼**iii**½ इस कार्य के लिए निविदायें केवल सामान्य सूचना द्वारा एकत्रित की गई थी जबकि इस कार्य के लिए विस्तृत विज्ञापन देना वांन्छित था। ऐसा न करके नगर पंचायत द्वारा बाजार प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं उठाया गया था। अतः सामान्य सूचना से निविदायें एकत्रित करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

¼**iv**½ नगर पंचायत द्वारा निविदायें केवल Sand Bed Laying of Bricks and Dismenteling and shifting of Pole electricity Charges/Digging of Pole etc. हेतु मंगवाई गई थी। इसके अतिरिक्त इन निविदायों से सम्बन्धित सूचना में P/F of LED Lights का कोई उल्लेख नहीं था जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं।

¼**v**½ उपरोक्त कार्य के लिए 6 No. Electric Poles को Dismentaled किया गया था परन्तु सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर की जॉच करने से पाया गया कि Dismental Material को स्टॉक रजिस्टर में नहीं लिया गया था।

¼B½ fcuk fufonk;s vkefU=r fd, lkeku dh [kjhn fd;k tkuk rFkk [kjhns x, lkeku dh LVkWd izfof"V u djuk&

वाउचर संख्या 2 दिनांक 16.07.2011 ₹261654

वाउचर संख्या 3 दिनांक 16.7.2011 ₹19200

वाउचर संख्या 1 दिनांक 21.06.2011 ₹368872

निम्न मामलों में यह पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा सामान की खरीद बिना निविदायें आमन्त्रित किए की गई थी। इस प्रकार नगर पंचायत द्वारा निविदायें आमन्त्रित न करके बाजारी प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं उठाया गया। जॉच में यह भी पाया गया कि खरीदे गए सामान की स्टॉक प्रविष्टि सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में नहीं की गई थी।

Vr. No/Date	**Name of the Firm from whom the Material was Purchased**	**Detail of Purchased Material**	**Amount**	**Remarks**
2/16.07.2011	M/S Deepak Elec store, Jubbal	Purchase of 15 No. Electric Poles	261654	Quatations were not in Record, Stock Entry was not made.

3/16.07.2011	Sh. Deepak Aukta	Purchase of Alluminium Conductor PVC Industrial Armed PVC 6 mm Power cable	19200	Quatations were not in Record, Stock Entry was not made.
1/21.06.2011	Sh. Deepak Aukta	Purchase of Alluminium wire	367872	Quatations were not in Record, Stock Entry was not made.

अतः निविदायें आमन्त्रित न करने एवं खरीदे गए सामान की स्टॉक प्रविष्टि न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा निविदाएं आमन्त्रित न करने से सम्बन्धित उपरोक्त अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाने के अतिरिक्त सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टरों में भी अपेक्षित प्रविष्टियॉ भी की जाए।

11 lLFkkiuk&

नगर पंचायत द्वारा संथापना से सम्बन्धित व्यय की जांच पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः–

¼d½ "Establishment Check Registers" u cuk;k tkuk&

वेतन बिलों की जॉच करने पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा स्थापना व्यय से सम्बन्धित चैक रजिस्टर वेतन रजिस्टर (Establishment Check Register) को तैयार नहीं किया गया जिसके अभाव में नगर पंचायत में तैनात कर्मचारियों को समय–समय पर किए गए वेतन के भुगतान की पूर्ण जॉच नहीं नहीं की जा सकी। इस सम्बन्ध में पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2005 से 03/2007 के अंकेक्षण पैरा संख्या 5 (3) में भी आपति दर्ज की गई थी परन्तु वर्तमान अंकेक्षण की समाप्ति तक नगर पंचायत द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। अतः परामर्ष दिया जाता है कि नगर पंचायत द्वारा अविलम्ब वेतन रजिस्टर को बनाया जाना सुनिष्चित किया जाए एवं कृत कार्रवाई से इस विभाग को षीध्र सूचित किया जाए।

¼[k½ fgekpy izns'k uxj ikfydk vf/kfu;e 1994 dh /kkjk 53 ¼1½ ¼x½ ds iko/kkuks ds foijhr lLFkkiuk O;; ij ₹1794885@&dk vukf/kd`r :i ls O;; fd;k tkuk&

हिमाचल प्रदेष नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 53 (1) (ग) के अनुसार "संस्थापना पर व्यय, नगर पालिका के व्यय के एक तिहाई से अधिक नहीं होगा।" नगर पंचायत के अभिलेख की पड़ताल पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा वर्ष 2007–08 से 2011–12 के दौरान निम्न विवरणानुसार संस्थापना पर ₹1794885/–का व्यय उपरोक्त प्रावधानों के अधिक किया गया। अतः हिमाचल प्रदेष नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 53 (1) (ग) के प्रावधानों के विपरीत संस्थापना पर अधिक व्यय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए और उक्त अनियमितता का सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाने के अतिरिक्त आगामी वर्षों के दौरान संस्थापना पर व्यय उपरोक्त धारा अनुरूप ही किया जाना सुनिष्चित किया जाए:–

Period	Total Expenditure from own sources	Expenditure on Establishment	% of Establishment Expenditure to the toal Expenditure	Admissible expenditure on Establishment i.e. 1/3rd of total Expenditure	IrregulExpenditure on Establishment
2007-08	956384	597238	62.45	318794.67	278443.33
2008-09	1179258	834582	70.77	393086.00	441496.00
2009-10-	2296983	1144492	49.83	765661.00	378831.00
2010-11	2712893	1111304	40.96	904297.67	207006.33
2011-12	2711015	1392780	51.37	903671.67	489108.33
				Total:-	**₹1794885.00**

¼x½ fcuk Lohd`fr l¡osru ij ₹277199@&dk vf/kd O;;%&

वेतन व्यय की जॉच मे पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा वेतन इत्यादि पर स्वीकृत बजट से अधिक व्यय किया गया था जिसका विवरण निम्न दिया गया है। अतः स्वीकृत बजट से अधिक वेतन इत्यादि पर व्यय का औचित्य स्पष्ट किया जाए एवं अधिक किए गए व्यय हेतु सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जाए एवं अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जानी सुनिष्चित की जाए:–

o"k	oru gr ctV iko/kku	Okru gr okLrfod O;;	oru gr vf/kd O;;
2007–08	605515	597238	00
2008–09	557383	834582	277199
2009–10	बजट उपलब्ध नहीं	1144492	
2010–11	बजट उपलब्ध नहीं	1111304	
2011–12	बजट उपलब्ध नहीं	1392780	

उपरोक्त के अतिरिक्त वर्ष 2009–10, 2010–11 एवं 2011–12 का अनुमोदित बजट नगर परिषद में उपलब्ध नहीं था जिसकी अनुपस्थिति में इन वर्षों के दौरान वेतन हेतु बजट प्रावधान एवं वेतन हेतु वास्तविक व्यय के बीच तुलना नहीं की जा सकी। अतः उक्त वर्षों का अनुमोदित वजह भी जांच हेतु आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाए।

¼?k½ ₹5050@& oru dk vf/kd Hkxrku½&

नगर पंचायत जुब्बल के कर्मचारियों को निम्न विवरणानुसार वेतन का अधिक भुगतान किया गया है।

¼i½ ₹2800@&dk vf/kd Hkxrku½&

अंकेक्षण मे वेतन बिलों की जॉच करने पर पाया गया कि श्री लोक पाल व0 सहायक नगर पंचायत को गलत गणना के कारण ₹2800/–का अधिक भुगतान किया गया, जिसका विवरण निम्न दिया गया है। अतः इस मामले में वेतन का निर्धारित सही प्रकार से किया जाए एवं सम्बन्धित कर्मचारी से अधिक वेतन की वसूली सुनिष्चित की जाए तथा कृत कार्रवाई से इस विभाग को षीध्र सूचित किया जाए।

Month for which excess payment has been made	Amount of Salary as per Salary Bill	Payment made	Excess payment (Per Month)	Total excess payment
01.05.11 to 01.11.11 (7 Months)	30776 (15890+4200+20090+10246+200+200)	31136	400	2800

¼ii½ ₹752@&dk vf/kd Hkxrku½&

अंकेक्षण मे वेतन बिलों की जॉच करने पर पाया गया कि श्री चॉद लाल सफाई कर्मचारी को गलत गणना के कारण ₹752/–का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्न दिया गया है। अतः इस मामले मे वेतन का निर्धारण सही प्रकार से किया जाए एवं

सम्बन्धित कर्मचारी से अधिक वेतन की वसूली सुनिष्चित की जाए तथा कृत कार्रवाई से इस विभाग को षीध्र सूचित किया जाएः–

Month for which excess payment has been made	Amount of Salary Fixed					Amount of Salary as calculated by audit					Excess payment
	BP	DP	IR	DA	Total	BP	DP	IR	DA	Total	
23.07.07(FN) to 31.07.07	1099	550	82	710	2441	761	380	57	491	1689	752

¼iii½ ₹1498 dk vf/kd Hkxrku%&

अंकेक्षण में वेतन बिलों की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार विभिन्न मामलों में वेतन का गलत निर्धारण करने के कारण वेतन का अधिक भुगतान किया गया था। अतः इन मामलों में वेतन का निर्धारण सही प्रकार से किया जाये एवं सम्बन्धित कर्मचारी से अधिक वेतन की वसूली सुनिष्चित की जाए तथा कृत कार्रवाई से इस विभाग को षीध्र सूचित किया जाए।

12 LVkj ,o LVkd%&

हिमाचल प्रदेष म्यूनिसिपल अकाउंट कोड 1975 के अनुसार नगर पंचायत की समस्त चल व अचल संपति का सत्यापन 3 वर्षों में एक बार नगर पंचायत सदस्यो एवं अधिकारियों के द्वारा किया जाना आवष्यक है। अंकेक्षण के दौरान स्टॉक एवं स्टोर` अभिलेख की जॉच करने पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा स्टॉक एवं स्टोर का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया गया था और न ही नगर पंचायत द्वारा चल एवं अचल सम्पति रजिस्टर का रख–रखाव नियमानुसार किया गया था जोकि अनियमित ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी है। इस सम्बन्ध में पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2005 से 03/2007 के पैरा संख्या 8 (3) में भी आपत्ति दर्ज की गई थी परन्तु इस सम्बन्ध में अंकेक्षण समाप्ति तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई थी। अतः नगर पंचायत की समस्त चल व अचल सम्पति का सत्यापन न करने एवं अचल व चल सम्पति रजिस्टर का रख–रखाव नियमानुसार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को षीध्र सूचित किया जाए।

13 iU'ku ,o xP;Vh%&

नगर पंचायत में एक वरिष्ठ सहायक, एक सफाई कर्मचारी पैन्षन एवं ग्रेच्यूटी नियमों के तहत और एक कनिष्ठ अभियन्ता, एक सफाई कर्मचारी अंषदायी पैन्षन योजना (सीपीएफ) के अन्तर्गत आते है। अवधि 04/2007 से 03/2012 के दौरान इन कर्मचारियों का पैन्षन एवं ग्रेच्यूटी जीपीएफ और अंषदायी पैन्षन योजना (सीपीएफ) का विवरण परिषिष्ट (ग) के पृष्ठ 1से 3 पर दिया गया है। हिमाचल प्रदेष म्यूनिसिपल एम्प्लाईस(पैन्षन, गेच्यूटी एण्ड जनरल प्रोविडेट फंड) रूल्स, 2000 एवं हिमाचल प्रदेष अंषदायी पैन्षन योजना (सीपीएफ) नियम के अनुसार पैन्षन एवं ग्रेच्यूटी, जीपीएफ और अंषदायी पैन्षन योजना (सीपीएफ) हेतु अलग–2 बैक खाता रखा जाना चाहिए क्योंकि प्रत्येक लेखा की अलग–अलग प्रकृति को देखते हुये था ऐसा करना आवष्यक भी है परन्तु नगर पंचायत की पैन्षन एवं ग्रेच्यूटी से सम्बन्धित अभिलेख

की पड़ताल करने पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा पैन्षन एवं ग्रेच्यूटी, जीपीएफ और अंषदायी पैन्षन योजना (सीपीएफ) के लिए एक ही बैंक खाता रखा गया था। अतः परामर्ष दिया जाता है कि म्यूनिसिपल एम्प्लाईस (पैन्षन, ग्रेच्यूटी एण्ड जनरल प्रोविडंग फंड) रूल्स, 2000 एवं हिमाचल प्रदेष अंषदायी पैन्षन योजना (सीपीएफ) नियम के अनुसार पैन्षन एवं ग्रेच्यूटी, जीपीएफ और अषंदायी पैन्षन योजना (सीपीएफ) हेतु पृथक–पृथक खातों में जमा करवाई जाए तथा कृत कार्रवाई से इस विभाग को षीध्र सूचित किया जाए।

14 y/k vkifŸk foojf.kdk&

यह अलग से जारी नहीं की गई है क्योंकि लघु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया।

15 fu"d"kZ&

लेखाओं के रख रखाव में और सुधार की अति आवष्यकता है। इसके साथ ही अंकेक्षण की ओर से यह सुझाव दिया जाता है कि नगर पंचायत जुब्बल की आय को बढ़ाने के लिए नगर पंचायत अधिकारियों को अधिक प्रयास किए जाने चाहिए।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष, षिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :– फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)7 /86,खण्ड–1 दिनांक, षिमला–171009.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है :–

i!thd`r 1- सचिव, नगर पंचायत जुब्बल, जिला षिमला हिमाचल प्रदेष को इस आषय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर अंकेक्षण की प्राप्ति के एक माह के भीतर इस विभाग को भेजें।

2. निदेषक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेष षिमला–2.

3 श्री अनिल षर्मा, अ0अ0 द्वारा..............................

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष, षिमला–171009.

ifjf'k"V ^^A**

i`jk&1 ¼x½

xr vads{k.k& गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से थीः–

¼d½ vads{k.k ,o fujh{k.k ifrosnu vof/k 6@1984 ls 03@1987½&

1	पैरा 6	अनिर्णीत
2	पैरा 8 (बी) (सी)	अनिर्णीत
3	पैरा 9 (ए से सी)	अनिर्णीत
4	पैरा 9 (डी, ई)	अनिर्णीत
5	पैरा 10	अनिर्णीत
6	पैरा 13 (ए)	अनिर्णीत

7	पैरा 13 (बी)	अनिर्णीत
8	पैरा 13 (सी)	अनिर्णीत
9	पैरा 13 (डी)	अनिर्णीत
10	पैरा 13 (एफ)	अनिर्णीत
11	पैरा 13 (जी)	अनिर्णीत

¼[k½ vid{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 04@87 l 03@91½&

1	पैरा 12 (ग, घ, ङ)	अनिर्णीत
2	पैरा 13 (1) (क से घ)	अनिर्णीत
3	पैरा 15 (क)	अनिर्णीत
4	पैरा 17 (क)	अनिर्णीत
5	पैरा 17 (ख)	अनिर्णीत
6	पैरा 17 (ग)	अनिर्णीत
7	पैरा 18 (ङ)	अनिर्णीत

¼x½ vid{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 04@91 l 03@96½&

1	पैरा 6	अनिर्णीत
2	पैरा 12 (3)	अनिर्णीत
3	पैरा 12 (10 व 11)	अनिर्णीत
4	पैरा 12 (16 व 17)	अनिर्णीत
5	पैरा 13 (1)	अनिर्णीत
6	पैरा 13 (2)	अनिर्णीत
7	पैरा 13 (4)	अनिर्णीत
8	पैरा 13 (5)	अनिर्णीत
9	पैरा 13 (6)	अनिर्णीत
10	पैरा 13 (7) (4)	अनिर्णीत

11	पैरा 14 (5)	अनिर्णीत

¼?k½ <u>vudz{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 04@96 ls 03@05½&</u>

1	पैरा 6 (ग)	अनिर्णीत
2	पैरा 6 (घ)	अनिर्णीत
3	पैरा 6 (ङ)	अनिर्णीत
4	पैरा 6 (च)	अनिर्णीत
5	पैरा 8 (क)	अनिर्णीत
6	पैरा 8 (घ)	अनिर्णीत
7	पैरा 8 (च)	अनिर्णीत
8	पैरा 8 (ज)	अनिर्णीत
9	पैरा 8 (ट)	अनिर्णीत
10	पैरा 8 (ठ)	अनिर्णीत
11	पैरा 8 (ड)	अनिर्णीत
12	पैरा 8 (ढ)	अनिर्णीत
13	पैरा 8 (ण)	अनिर्णीत
14	पैरा 8 (त)	अनिर्णीत
15	पैरा 8 (थ)	अनिर्णीत
16	पैरा 8 (द)	अनिर्णीत
17	पैरा 8 (न)	अनिर्णीत
18	पैरा 9 (क) (1 से 7)	अनिर्णीत
19	पैरा 9 (क) (9)	अनिर्णीत
20	पैरा 9 (ख)	अनिर्णीत
21	पैरा 9 (ग)	अनिर्णीत
22	पैरा 9 (घ) (1 से 5)	अनिर्णीत
23	पैरा 9 (ङ) (1 से 4)	अनिर्णीत
24	पैरा 10 (क, ख)	अनिर्णीत
25	पैरा 10 (घ)	अनिर्णीत
26	पैरा 10 (ङ)	अनिर्णीत

27	पैरा 10 (च)	अनिर्णीत
28	पैरा 10 (छ)	अनिर्णीत
29	पैरा 11 (क)	अनिर्णीत
30	पैरा 11 (ख)	अनिर्णीत
31	पैरा 11 (ग)	अनिर्णीत
32	पैरा 11 (घ)	अनिर्णीत
33	पैरा 11 (ङ) (i से ii)	अनिर्णीत
34	पैरा 11 (च)	अनिर्णीत
35	पैरा 11 (छ)	अनिर्णीत

¼3½ vkd{k.k ,o fujh{k.k ifrosnu vof/k 04@05 ls 03@07½&

1	पैरा 1	निर्णीत	(आवष्यक अभिलेख की पुष्टि उपरान्त)
2	पैरा 2	निर्णीत	(वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
3	पैरा 4	अनिर्णीत	
4	पैरा 5	अनिर्णीत	
5	पैरा 6	अनिर्णीत	
6	पैरा 7 (क से ख)	अनिर्णीत	
7	पैरा 8 (क से ख)	अनिर्णीत	
8	पैरा 9 (1)	अनिर्णीत	
9	पैरा 9 (2) (क)	अनिर्णीत	
10	पैरा 9 (2) (ख)	अनिर्णीत	
11	पैरा 3 (क)	अनिर्णीत	
12	पैरा 3 (ख)	अनिर्णीत	
13	पैरा 3 (ग)	निर्णीत	(वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
14	पैरा 3 (घ)	अनिर्णीत	
15	पैरा 3 (ङ)	अनिर्णीत	
16	पैरा 5 (1)	अनिर्णीत	
17	पैरा 5 (2)	अनिर्णीत	
18	पैरा 5 (3)	अनिर्णीत	

19	पैरा 5 (4)	अनिर्णीत	
20	पैरा 5 (5)	अनिर्णीत	
21	पैरा 6 (1)	अनिर्णीत	
22	पैरा 6 (2)	अनिर्णीत	
23	पैरा 6 (3)	अनिर्णीत	
24	पैरा 6 (4)	अनिर्णीत	
25	पैरा 6 (5)	अनिर्णीत	
26	पैरा 7 (1)	अनिर्णीत	
27	पैरा 7 (2)	अनिर्णीत	
28	पैरा 7 (3)	अनिर्णीत	
29	पैरा 7 (4)	अनिर्णीत	
30	पैरा 7 (5)	अनिर्णीत	
31	पैरा 8 (1)	अनिर्णीत	
32	पैरा 8 (2)	अनिर्णीत	
33	पैरा 8 (3)	निर्णीत	(वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
34	पैरा 8 (4)	अनिर्णीत	